(31)

श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

अवमानपूर्ण अर्जी

निगरानी प्रकरण क्र० 732/ 11/ 14

आगामी पेशी दिनांक 8-5-14

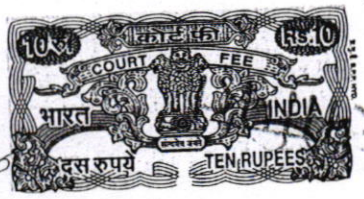

लिपिक 1264-M/14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- सुरेशचन्द्र अग्रवाल पिता काश्मीरीलाल अग्रवाल

2- वंशीलाल पिता मथुराप्रसाद यादव

3- कैमला पिता रामाधीनपाल

4- केशरीप्रसाद पिता बब्बूराम सभी सा० गडेरिया, तह० खुड़ार- वृत्त जिला सिरौली - म०प्र० ------------------ आवेदकगण

बनाम

1) शासन म०प्र० द्वारा श्रीमान कलेक्टर सिरौली (म०प्र०)

2- नायब तहसीलदार खुड़ार- वृत्त सिरौली जिला सिरौली -- अनावेदकगण -

श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश ... 3-14 के परिपालन में आवेदकगण सुरेशचन्द्र व वंशीलाल यादव द्वारा धारा 32 म०प्र० भूराजस्व संहिता का आवेदनपत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जो श्रीमान नायब तह० महोदय, वृत्त खुड़ार- श्री अजय प्रताप सिंह सिरौली द्वारा 5-3-14 को यह कह कर आवेदकगण का आवेदनपत्र अपास्त कर दिया गया कि कले० महोदय सिरौली के आदेश 3-10-13 प्रकरण क्र० 6474/ 13-14 का पालन कर दिया गया जिसकी जानकारी आवेदकगण को दि० 13-2-14 के पूर्व नहीं थी। पालन न कराये जाने के संबंध में अनावेदकगण के विरुद्ध न्यायालय अवमानना से दण्डित किया जाय। अन्तर्गत धारा 12 अवमानना अधि०

(31)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 1264–दो/2014 विविध जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह विविध आवेदन राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 732–दो/2014 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–3–2014 का पालन न करने के कारण अवमानना अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अति0 तहसीलदार सिंगरोली ने कलेक्टर सिंगरोली को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 19–5–2009 प्रस्तुत किया कि उनके पूर्व पीठासीन अधिकारी ने सितम्बर 2007 से मार्च 2008 की तिथियों के बीच शासकीय भूमियों को निजी स्वामित्व पर करने के आदेश पारित किये है जिससे शासन को गंभीर क्षति हुई है। ऐसे सभी प्रकरणों की सूची (संभवतः 5 प्रकरण) संलग्न कर सभी प्रकरणों को स्वमेव निगरानी में लेने के प्रस्ताव दिये । अति0 तहसीलदार सिंगरोली के प्रतिवेदन दिनांक 19–5–2009 पर से कलेक्टर सिंगारोली ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 1/08–09 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 19–5–2009 पारित करके भूमि पूर्ववत् म0प्र0 शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये । सम्बद्व पक्षकार सुरेशचन्द्र पुत्र लक्ष्मीरीलाल (विविध आवेदनकर्ता) एंव 4 ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी। अपर आयुक्त ने निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12–6–2012 से कलेक्टर का आदेश दिनांक 10–5–2009 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 1264–दो/2014 विविध जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने स्वयं के न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 12–6–12 का पुनरावलोकन किया तथा आदेश दिनांक 22–9–2012 पारित करके आदेश में से यह अंश विलोपित कर दिया कि निगरानीकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अंतिम आदेश पारित किया जाय। इस प्रकार अपर आयुक्त व्दारा शासन पक्ष को सुने बिना म0प्र0शासन की भूमियां तत्कालीन अपर तहसीलदार व्दारा माह सितम्बर 2007 से मार्च 2008 की तिथियों के बीच निजी स्वामित्व पर करने के आदेश को स्टेण्ड कर दिये जाने से म0प्र0 शासन के हित को ध्यान में रखकर कलेक्टर सिंगरोली ने प्र0क0 6/ अ–74 /2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–10–13 से यह विनिश्चत किया कि– **अपर आयुक्त व्दारा शासन पक्ष को भी नहीं सुना गया है ऐसी स्थिति में शासन की ओर से पुर्नविलोकन याचिका दायर करते हुये शासन का पक्ष प्रस्तुत करते हुये निगरानी प्रकरण में निराकरण का अनुरोध किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार इस न्यायालय की ओर से न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। तहसीलदार तहसील सिंगरोली उक्तानुसार इस न्यायालय का पत्र एंव पुर्नविलोकन याचिका न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा को प्रस्तुत करते हुये कार्यवाही करावे। न्यायालय अपर आयुक्त के आगामी आदेश तक निगरानीकर्तागण के नाम दर्ज की गई भूमियों को म.प्र.शासन के नाम दर्ज अभिलेख करावें।** कलेक्टर सिंगरोली के निर्देशों के प्रकाश में तहसीलदार सिंगरोली ने दिनांक 8–10–13 को अभिलेख दुरूस्त कराकर मूल प्रकरण कलेक्टर सिंगरोली की	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 1264–दो/2014 विविध जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
	ओर वापिस कर दिया। सुरेश चन्द्र, बंशीलाल, केमला, केशरी ने कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 6 अ 74/13–14 में पारित 3–10–13 के विरूद्व यह विविध आवेदन राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में अवमानना अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रस्तुत करके स्थगन की मांग रखी । तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल ने प्रकरण कमांक 732–दो/2014 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–3–2014 से कलेक्टर के आदेश का कियान्वयन आगामी तीन माह तक रोकते हुये निर्देश दिये कि राजस्व अभिलेखों में कलेक्टर व्दारा आदेश पारित के दिनांक की स्थिति बनाये रखी जाये। 3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करते हुये अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब कलेक्टर सिंगरोली ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 12–6–12 पर से पुनरावलोकन प्रस्तावित कर दिया, एंव अपर आयुक्त ने पुनरावलोकन आदेश दिनांक 12–6–12 मध्य प्रदेश शासन को सुने बिना शासन के हितों के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किया है तब विचार योग्य है कि क्या एक पक्षकारों को सुने बिना उसके विरूद्व पारित आदेश ऐसे पक्षकार पर बन्धनकारी है ? 1. महबूब वि. श्रीमती मुन्नीवाई 1986 (1) म0प्र0 वीकली नोट 149 का न्याय दृष्टांत है कि बिना सुनवाई किये आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के नियम का उल्लॅघन है। 2. मुरलीधर बलाई विरूद्व म0प्र0राज्य 1986 (2) म0प्र0वीकली नोट 191 तथा सलीमखां विरूद्व म0प्र0राज्य 1986 रा0नि0 121 उच्च न्यायालय में वताया गया है कि आदेश पारित करने वाले अधिकारी को यह	

समाधान होना चाहिये कि संबंधित पक्षकार को सुन लिया गया है। सुने जाने का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया जाना न्याय की विपफलता है।

स्पष्ट है कि म0प्र0शासन को अथवा उनके प्रतिनिधि जिला कलेक्टर को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 12–6–12 पारित किया है जो एकपक्षीय होने से एंव कलेक्टर सिंगरोली व्दारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 12–6–12 पर से पुनरावलोकन प्रस्तावित कर देने ऐसे आदेश का कियान्वयन यदि नहीं हो पाया एंव कलेक्टर व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 3–10–13 से अभिलेख शुद्व करवा दिया, तब आवेदकगण के स्वत्व पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है क्योंकि अभिलेख प्रवष्टियों पर से हक एंव स्वत्व का विनिश्चय नहीं होता है । इन्हीं कारणों से प्रविष्टि शुद्वीकरण आदेश दिनांक 3–10–13 के वाद तत्कालीन राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 732–दो/2014 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–3–2014 पर से यह अवमानना का प्रकरण नहीं बनता है । आवेदकगण ने वाद विचारित भूमि पर बैध हक का अर्जन किया है अथवा नहीं किया है ? मामले की कलेक्टर सिंगरोली के प्र0क0 6/ अ–74 /2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–10–13 से प्रेषित किये गये प्रस्ताव के विनिश्चय के वाद ही स्वत्व अर्जन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत विविध आवेदन प्रचलन–योग्य न होने से अमान्य किया जाता है।

सदस्य